

## खबर संक्षेप

हब फोर एग्जावर्मेंट ऑफ युगेन के 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

मण्डला। वन स्टॉप सेंटर मण्डला द्वारा संकल्प 100 मिशन शक्ति योजना नामांकन सप्ताह- ओएससी और डब्ल्यूएचएल कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण सत्र अंतर्गत डाक बैंक महाराजपुर जिला मण्डला के साथ डीबीटी सक्षमता एवं योजनाओं से लाभार्थी महिलाओं का आधार प्रमाणीकरण करने हेतु संयुक्त शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा उपस्थित गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को संतुलित भोजन एवं प्रसव से पहले पर्याप्त आराम की आवश्यकता के बारे में बताया गया एवं मातृत्वदाना योजना से जोड़ने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। जिला हब में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया गया और वन स्टॉप सेंटर में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया और आगे भी इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

## डॉ. एसआर राय का निधन

निवास। विगत दिवस विकासखंड निवास के ग्राम पिपरिया निवासी डा. एसआर राय सिवनी जिले में सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। जिनका उपचार नागपुर में चल रहा था। डॉ. एसआर राय निवास ग्राम पिपरिया निवासी प्रतीक राय के पिता थे। डॉ. एसआर राय का नागपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया गया कि डॉ. एसआर राय बजरंग उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा के रिटायर्ड शिक्षक के साथ निवास पिपरिया क्षेत्र के अच्छे चिकित्सक भी रहे। इनके निधन से क्षेत्र में शोक व्याप्त है। इनका अंतिम संस्कार गुरुवार को पिपरिया ग्राम में किया गया।

## लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महा अभियान 2.0

## क्यों नहीं गंभीर राजस्व विभाग

\* 31 अगस्त तक चलेगा अभियान।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

पिछले लगभग 02 वर्षों से लगातार राजस्व विभाग को जिला प्रशासन द्वारा समय-सिमा में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समझाईश दी जा रही है लेकिन इस समझाईश का कितना असर इस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों पर हुआ यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब एक बार पुनः लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है और जिसकी मॉनिटरिंग कमिश्नर से लेकर अन्य बड़े अधिकारी करेंगे। देखना होगा यह महाअभियान कितना सफल हो



पाता है। हकीकत यह है कि आज भी छोटे-छोटे प्रकरणों को लेकर नहीं ली है। किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का

लेकिन समाधान करना तो दूर विभाग ने इन प्रकरणों की सुध तक नहीं ली है। किसानों की सुविधा और लंबित राजस्व प्रकरणों का

समय-सिमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक राजस्व महा अभियान-2.0 संचालित किया जा रहा है। किसानों और आमजन की सुविधायित के लिये पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अभियान अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण भी किया जायेगा। राजस्व महा अभियान में संभागायुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्यवाही की मॉनीटरिंग करेंगे। राजस्व महा अभियान में अविवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 30 दिन में, विवादित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण 150 दिन में किया जायेगा। बंटवारा

प्रकरणों के निराकरण की समय-सिमा 90 दिन है और सीमांकन प्रकरणों को 45 दिन में निराकृत किया जाएगा। इसके साथ ही नकशों में तरमीम का कार्य सतत जारी रहेगा। राजस्व महा अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान 2.0 में 30 जून 2024 की स्थिति में लंबित नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती और सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का लक्ष्य रखा गया है।

## अभियान में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण

राजस्व महा अभियान में एक अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक फसलों का डिजिटल (क्रॉप) सर्वेक्षण किया जायेगा। किसानों के खेत पर जाकर फसल का फोटो सहित जानकारी अद्यतन करने के लिये युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को 25 जुलाई तक प्रशिक्षित किया जायेगा। राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरो और नकशों में अमल सुनिश्चित किया जाएगा। राजस्व महा अभियान में निःशुल्क समग्र ई-केवाईसी और समग्र से खसरो की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करने की समय-सिमा निर्धारित की गई है।

## आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत



\* दो महिला घायल, बिछिया स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा उपचार।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/मवई

मवई थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी दादर के नदी टोला में स्थित खेत में रोपा लगाने का कार्य चल रहा था। जहां ग्रामीणजन खेत में रोपा लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक दोपहर करीब 02 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने किसान खेत के मेड़ की तरफ भागे और मेड़ में खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली खेत के मेड़ में खड़ी महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं। इस घटना में एक महिला की मौत पर ही मौत हो गई और दो महिला घायल हो गईं हैं। घटना की जानकारी मवई पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी गई। घायल महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्र उपचार के लिए ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार मवई ब्लाक के ग्राम देवरी दादर नदी टोला के खेत में रोपा लगाने का कार्य चल रहा था। अचानक दोपहर 2 बजे तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई और रोपा का कार्य कर रही सभी महिलाएं खेत से

बाहर आकर मेड़ में खड़ी हो गई थी। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। जिसकी चपेट में गदिया बाई नरती 55 वर्ष पति कुंवर सिंह आ गईं। गदिया बाई की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई और दो महिलाएं जगती जगतीन बाई परस्ते 54 वर्ष पति तितरू सिंह, राधाबाई परस्ते पति नवल सिंह 26 वर्ष आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गईं। घटना के तुरंत बाद आसपास के खेतों में रोपा लग रही महिलाओं ने ग्रामवासियों को सूचना दी।

बताया गया कि ग्रामीणों को जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर पहुंचे। जहां ग्रामीणों ने मवई पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया। जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं मृतक महिला के शव को पोस्टमॉर्टेम के लिए भेजा गया है। जहां पोस्टमॉर्टेम के बाद महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। बताया गया कि आकाशीय बिजली की घटना के दौरान सभी महिलाएं जनक टेकाम के खेत में रोपा लगाने के लिए गईं थीं इसी दौरान आकाशीय बिजली से हादसा हो गया।

## प्रतिबंध के बावजूद बेखौफ पकड़ रहे मछलियां

\* बिक रही मछलियां, मत्स्याखेट पर कार्यवाही नहीं।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

16 जून से 15 अगस्त तक मछलियों के आखेट पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। बावजूद इसके निरंतर मछलियों का शिकार जारी है। इतना ही नहीं खुलेआम व्यापारी मछलियों का विक्रय भी करते नजर आ रहे, लेकिन इस पर कार्यवाही करने में विभाग पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। बाजार समेत मुख्यालय के आसपास भारी तादाद में मछलियां विक्रय की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर विभागीय अमला केवल औपचारिकता का ही निर्वहन करते नजर आ रहा है। यहां प्रतिबंध के आदेश की धजियां उड़ रही हैं। यहां मत्स्य विभाग की



कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जानकारी अनुसार प्रजनन काल में मछलियों का उत्पादन प्रभावित ना हो इसके लिए शासन स्तर से मछली के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन के लिए जिम्मेदार मछली पालन विभाग को मत्स्याखेट रोकने की

जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडला जिले के नदी, नाले, जलाशय और तालाब से जमकर मत्स्याखेट किया जा रहा है। मछुआरों ने जाल फैला रखे हैं। नर्मदा में डोंगी से मछलियों की तलाश की जा रही है लेकिन मछली पालन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिले भर में मत्स्याखेट

और मछली विक्रय जमकर जारी है। खुलेआम जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में इसका नाजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन मछली विक्रय करने वाली की भी मजबूरी है कि उनके पास इस दो माह अपने भरण पोषण के लिए दूसरा कोई कार्य नहीं रहता है। जिसके कारण मजबूरी में भी इनको

मछली विक्रय करनी पड़ती है। शासन, प्रशासन के बनाए नियम सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होते हैं, इन नियमों की धजियां उड़ाना सरकार के नुमाईंदे का काम है। खानापूर्ति कर वाहवाही लूटना अधिकारियों, कर्मचारियों की फितरत बन गई है। हम बात कर रहे आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के मत्स्य विभाग की, जहां पदस्थ अधिकारी, कर्मचारी सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की औपचारिकता निभाते हैं। जिला मुख्यालय के बाजार में खुलेआम मछली बाजार संचालित हो रहा है, वहीं पांच किमी दूर सहखधारा में रोजाना कई क्विंटल मछलियां मछुआरे पकड़कर बेचने के साथ बाहर भी भेज रहे हैं, लेकिन मत्स्य विभाग की नजर यहां नहीं है, विभाग मुख्यालय से 50 किमी दूर जाकर बाजारों में कार्रवाई कर अपने कार्रवाई के रिकार्ड की शोभा बढ़ा रहे हैं।

## एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पत्रकारों ने नीम का पौधा लगाया

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/बहनीबंजर

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एकादशी के दिन पत्रकारों और उनके साथियों द्वारा वार्ड नंबर 15 की मुक्तिधाम में दो नीम का पौधा लगाया गया है वहीं नगरवासियों से इस अभियान में जुड़ नगर में हरियाली लाने अपनी माँ के नाम पौधरोपण करने अपील की है। बता दें कि पेड़ ऑक्सीजन व छाया देती है, उसी प्रकार हमारी माँ हमें बचपन से बड़े होते तक



हमारा ध्यान रखकर हमें सहारा देने के साथ साथ सफल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमें एक पेड़ माँ के नाम अपने घर आंगन,

बगीचा व खेत में पौधरोपण करना है। पौधे लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देख रेख करने से ही पौधे वृक्ष का रूप लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस उम्र में हम अपने बच्चों की परवरीश कर उन्हें बड़ा करते हैं, उसी प्रकार हमें पौधे की देख रेख कर बड़ा करना है, तभी वृक्षारोपण की सार्थकता होगी।

## निराधार निकले मारपीट के सभी आरोप

आपराधिक रिकार्ड			
अरविंद यादव पिता सतीश उर्फ टिकू यादव उम 33 वर्ष निवासी अंजनिया चौकी अंजनिया			
क्र.	अपराध क्र./इस्तगसा क्र.	धारा	कैफियत
01	इस्त.182/2018	107,116(3) जा.फौ.	
02	इस्त.16/2021	107,116(3) जा.फौ.	
03	इस्त.630/2021	107,116(3) जा.फौ.	
04	इस्त.111/2022	107,116(3) जा.फौ.	

हरिभूमि न्यूज | मण्डला/अंजनिया

कतिपय समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल द्वारा एक खबर प्रकाशित की गयी है जिसमें जनसुनवाई कार्यक्रम में आवेदक अरविंद यादव पिता टिकू यादव द्वारा चौकी प्रभारी अंजनिया द्वारा पैसे की डिमांड एवं जेल कर्मियों द्वारा जेल में मारपीट किये जाने के संबंध में दिये गये शिकायत का उल्लेख किया गया है। शिकायत एवं मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए तथ्यों की जांच राजपत्रित अधिकारी से करवाई गयी।

दिनांक 14.07.2024 को माननीय न्यायालय मंडला जेएफएमसी द्वारा चैक बाउंस के प्रकरण क्रमांक 06/2022 धारा 138 एनआईए में प्राप्त गिरफ्तारी वार्ड में चौकी अंजनिया पुलिस द्वारा अभियुक्त का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहाँ से माननीय न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त अरविंद यादव को जेल दाखिल किया गया। उक्त दिनांक को चौकी प्रभारी

रिपोर्ट लिख कर दुरुपयोग करते हैं इसलिए शपथ पत्र जरूरी है जो आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ पेश नहीं किया और समझाईश पर आरोप द्वारा की गई सीएम हेल्प लाइन की शिकायत बंद करा दिया। दूसरे आरोप के संबंध में जेल अधीक्षक के द्वारा भी बताया गया है कि अभियुक्त का जेल से निकलते वक्त का वीडियो फुटेज देखा गया जिसमें वह न्यूज चैनल पर प्रसारित वीडियो के विरुद्ध बिना चोट के सीधा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस संबंध में जेल स्तर पर भी प्राथमिक जांच में आरोप बेबुनियाद पाया गया। अतः आवेदक द्वारा जनसुनवाई के दौरान लगाये गये आरोप अप्रामाणिक एवं निराधार पाए गए हैं। शिकायतकर्ता आदतन शिकायती प्रवृत्ति का है। लोगों से वाद विवाद के चलते शिकायतकर्ता के विरुद्ध चौकी अंजनिया में पूर्व में भी वर्ष 2018, 2021 एवं 2022 में कुल 4 बार बॉण्ड ओवर की कार्यवाही की गई है। अतः पुलिस तथा जेल प्रशासन पर निराधार आरोप लगाया जाना पाया गया है।

## सुविधा

माली मोहगाँव, बेटोला और आमाटोला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से आपस में जुड़े।

## प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बेहतर सुविधा मिली

\* लगभग 20 लाख की लागत से हुआ निर्माण।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से महाराजपुर घाघा रोड से माली मोहगाँव तक पक्की सड़क का निर्माण कर नागरिकों को आवागमन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण 19 लाख 96 हजार की लागत से किया गया है। इसकी लम्बाई 2.461 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण होने से ग्राम माली मोहगाँव, बेटोला और आमाटोला आपस में पक्की सड़क से जुड़ गए हैं। इससे नागरिकों की आवागमन सुविधा बेहद आसान हुई है। ग्राम आमाटोला निवासी सुशील कुलेश ने बताया कि पहले इन गाँवों को लिए कच्ची सड़क थी जिससे नागरिकों को आने-जाने में बहुत



कठिनाई होती थी। इन गाँवों के बीच में धुरा नाला पड़ता था, उस नाले में बरसात के मौसम में पानी भर जाता था जिससे लोगों को आने-जाने में बहुत परेशानी होती थी। ग्राम मालीगाँव, बेटोला और आमाटोला के छात्र-छात्राओं को हाईस्कूल की पढ़ाई करने के लिए महाराजपुर जाना पड़ता था। इन

छात्र-छात्राओं को बरसात के मौसम में धुरानाला पार करने में बहुत कठिनाई होती थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पक्की सड़क का निर्माण होने और धुरानाला में पुलिया बन जाने से अब इन गाँवों को छात्र-छात्राएं प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल की पढ़ाई

के लिए महाराजपुर और मंडला आसानी से आ-जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन अमल ज्योति स्कूल महाराजपुर में कराया है। उसका पुत्र आइश कक्षा तीसरी में अध्ययनरत है और पुत्री एलिजा कक्षा चौथी में पढ़ाई कर रही है। उसके बच्चे रोजाना प्रधानमंत्री

ग्राम सड़क योजना की पक्की सड़क से स्कूल आना-जाना करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पक्की सड़क बन जाने से वह बहुत प्रसन्न है। ग्राम मानादेही निवासी अणू कुड़ापे ने बताया कि पहले महाराजपुर घाघा रोड से माली मोहगाँव तक कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क से नागरिकों को मंडला और महाराजपुर आने-जाने में बहुत दिक्कत होती थी। नागरिकों को हाट-बाजार, शासकीय कार्यालय और नाते-रिश्तेदारों के घर जाने में बहुत परेशान होना पड़ता था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण होने से अब इन गाँवों के नागरिक आसानी से आना-जाना कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्राम माली मोहगाँव, बेटोला और आमाटोला के नागरिकों की आवागमन को सुविधाजनक बना दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सुविधा पाकर ग्रामीणजन बहुत प्रसन्न हैं।

**खबर संक्षेप**

**आधार कार्ड केन्द्र बनाये जाने की मांग**

सालीचौका। जहां सरकार द्वारा हर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बच्चों व खेती बाड़ी के कार्यों के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। वहीं दूसरी ओर गौर किया जावे तो कई वर्ष पहले जब लोगों के आधार कार्ड बनाये गये थे। उस दौरान आधार कार्य बनाने वाले लोगों द्वारा अनेक प्रकार की गलतियाँ किये जाने का परिणाम इस समय लोगों को भोगने के लिये मजबूर होते हुये देखा जा रहा है। क्योंकि जब आधार कार्ड बनाये गये थे उस समय आधार कार्य की उपयोगिता नहीं होने के कारण लोगों द्वारा उस समय उन त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया गया था। मगर जब आधार कार्य को सभी कार्यों में जरूरी कर दिया गया है तो पहले आधार कार्ड बनाने में की गई गलतियाँ अब परेशानी का कारण बनने से नहीं चूक रहे है। इस तरह त्रुटिपूर्ण आधार कार्डों के सुधार को लेकर लोगों को भटकने के लिये मजबूर होते हुये देखा जा रहा है। क्योंकि आधार कार्य संबंधी केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित किये गये है जिसके चलते अब सालीचौका क्षेत्र के लोगों को अपने आधार कार्ड सुधार कार्य कराने के लिये गाइरवारा या फिर चीचली सहित अन्य स्थानों पर भटकने के लिये मजबूर बन चुके है। वहीं दूसरी ओर निर्धारित किये गये इन केन्द्रों की संख्या सिमित होने के कारण बनाये गये आधार कार्ड केन्द्रों पर भीड़ की स्थिति होने से जहाँ लोग दिन दिन भर इंतजार करने के बाद खाली हाथ घरों को लौटने के लिये मजबूर होते हुये देखे जाते है। इस स्थिति में जब कोई व्यक्ति सालीचौका से गाइरवारा या फिर चीचली अपना आधार कार्ड सुधारवाने के लिये जाता है तो उसका दिन भर का समय बर्बाद होता है और यदि काम पूरा नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन फिर भटकना पड़ता है। इस तरह आर्थिक क्षति सहित समयकी बर्बादी होने से नहीं चूक पा रही है। सालीचौका क्षेत्र के लोगों से शासन प्रशासन से मांग की जा रही है कि सालीचौका में आधार कार्ड बनाने व सुधार कार्य करने के लिये आधार केन्द्र की स्थापना कराई जावे।

**लड खड़ाई स्वास्थ्य सेवाएं सालचौका।**

जहां एक ओर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कहते हुये आये दिन अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू कर रही है। मगर कहा जाता है कि जब शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर ही नहीं होते तो फिर वह सेवाओं का लाभ लोगों को कैसे मिल पायेगा? इस बात की सच्चाई इस समय स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र में देखने मिल रहा है, जहां पर बताया जाता है कि वर्तमान में चल रहे मौसम के अजीब खेल के दौरान लोग बीमारियों से पीड़ित होते हुये देखे जा रहे है, जिसके चलते मरीजों की संख्या तो दिनों दिन बढ़ रही है। मगर मरीजों की समस्या कम नहीं हो रही सालीचौका स्वास्थ्य से लगभग सैकड़ों गांव लगे हुए है जहां पर दूर दूर से लोग यहां इलाज कराने आते है लेकिन सालीचौका स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की कमी के चलते मरीज बेहद परेशान हो रहे है। वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि कई मरीजों का समय पर इलाज नहीं होने के कारण उन्हें प्राइवेट डाक्टरों से इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके चलते आम लोगों का कहना है कि मरीज जब गांव से यहां पर इलाज कराने के लिए पहुंचता है तो उसे भटकने के शिवा कुछ हासिल नहीं होता है।

**बिजली खम्बों में आग लगने से अंधेरे में रहने मजबूर होते है लोग**

गाइरवारा। जहां एक ओर बिजली विभाग द्वारा आये दिन शहर हो या फिर गांव बिजली बिलों की बसूली करने के नाम पर लोगों की लाइट काटने में देर नहीं की जाती है। मगर वहीं दूसरी ओर किसानों को अच्छी बिजली व्यवस्था उपलब्ध करने के नाम पर देखा जावे तो बिजली विभाग की उदासीनता के चलते क्षेत्र के किसानों को प्रतिवर्ष लाखों रूपया की क्षति का सामना करने के साथ साथ अपनी जान तक गंवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है? यदि इस बात की सच्चाई पर गौर किया जावे तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहर के अंदर बिजली खम्बों में केबिले जहां मकड़ी की जात की तरह उलड़ी हुई नजर आने से नहीं चूक रही है।

**पांच साल पहले तालाब फूटने से बर्बाद हुये ग्रामीण किसानों का कौन था जिम्मेदार**



हरिभूमि न्यूज/सालीचौका।

जब क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घटित होती है तो निश्चित तौर से उस पर दुख व्यक्त करने वाले नेताओं से लेकर अधिकारियों की लाइन लगने से नहीं चूकती है और मौके पर दौषियों पर कार्यवाही करने का भरोसा दिलाने से भी नहीं चूकते है। मगर ज्यों ज्यों दिन व्यतीत होते जाते है त्यों त्यों उस घटना को भुला दिया जाता है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई आज से लगभग पांच पहले यानि की 3 सितम्बर 2019 को क्षेत्र में उस समय देखने मिली थी जब सुबह ग्राम रहमा सहित देवरी के लोगों को उगते हुये सूरज के बीच बर्बादी का सामना करने के लिये मजबूर होना पड़ा था शायद ही वहां के निवासी उस मंजर को कभी भुला पायेगे...? क्योंकि अचानक एक नाले में आये सेलाब के बीच देखते ही देखते सब कुछ चंद निमित्तों में उजड़कर चला गया था। वहीं अनेक लोगों के आवास धराशायी हो गये थे। क्योंकि लोगों के घरों के अंदर बंधे हुये अनेक मवेशी दबकर मर जाने के साथ साथ किसानों के खेतों में खड़ी हुई फसले बर्बाद होने से नहीं चूक पायी थी आखिर इसका जिम्मेदार कौन था...? इस सच्चाई को लगभग पांच साल का समय बीतने को है। मगर घटना की सच्चाई को तो क्षेत्रवासियों का कोई पता चल पाया है और नहीं उनकी हुई क्षति की भरपाई हो पाई होगी...? क्योंकि जिस तरह से ग्राम रहमा देवरी के पास से निकला हुआ केवलारी नाले में अचानक बाढ़ को जो मंजर देखने मिला था। वह निश्चित तौर से अनेक संदेहों को जन्म देने से नहीं चूक पा रहा था? बताया जाता है कि उस नाले में बाढ़ आने की कल्पना कभी नहीं की जा सकती है? मगर इसके बाद भी अचानक आई इस केवलारी नाले की बाढ़ ने जिस प्रकार से ग्राम रहमा सहित देवरी व अन्य गांवों में जो कहर द्वाया गया था उसके

चलते अनेक लोग बेघर होने के बाद कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे रहने के लिये मजबूर होते हुये देखे गये थे। वहीं दूसरी ओर अनेक लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाने के कारण उनके द्वारा बड़ी मुश्किलों के बीच अपना जीवन व्यतीत करते हुये आज भी देखा जा रहा है? क्योंकि इस प्रकार से एक छोटे से नाले में अचानक आई उस बाढ़ ने जिस तरह की तबाही मचाई गई थी उसकी सूचना मिलते ही जहां तत्कालीन जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डा. गुरुकरन सिंह सहित क्षेत्र की तत्कालीन विधायक श्रीमति सुनीता पटेल द्वारा तुरंत क्षेत्र का भ्रमण करते हुये जहां पीड़ितों लोगों को सहायता करने का भरोसा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की व्यवस्थाएं भी बनाये जाने के साथ ही साथ इस घटना में हुई क्षति का सर्वे करने के आलावा संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के आदेश भी जारी किये थे...? वहीं दूसरी ओर इस नाले में आई बाढ़ जो इन ग्रामों के लोगों को बर्बाद की कगार पर पहुंचा दिया गया था। मगर उसकी सच्चाई का पता लगाने का प्रयास किया गया था तो जानकारी मिली थी कि जंगल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टुडनी के पास बने हुये पांच तालाबों के रख रखाब में बरती गई लापरवाही का परिणाम था कि इनके फूट जाने के कारण इस केवलारी नाले में इस प्रकार से बाढ़ का मंजर देखने मिला था और उस लापरवाही ने ग्राम देवरी, बारहाबड़ा सहित ग्राम रहमा के अनेक लोगों को बेघर करते हुये बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी? वहीं दूसरी ओर बीते हुये पांच साल पहले इस संबंध में जब राजस्व विभाग के अधिकारी से चर्चा की गई थी तो उनका कहना था कि ग्राम रहमा के पास से निकले हुये केवलारी नाले में अचानक आई बाढ़ का कारण यह है जंगल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टुडनी के पास

बने हुये 1 वन विभाग का तालाब तथा 4 निजी तालाबों के फूटने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई थी। मगर उन तालाबों के रख रखाब में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है...? कही ऐसा तो नहीं की माता लक्ष्मी जी के आर्शीवाद के चलते गरीबों की बर्बादी को मंजर सिर्फ जांच की फाईलों में ही दब कर दीमक के हवाले हो गया है...? इस प्रकार से नाले में तालाब फूटने के कारण आई हुई बाढ़ के कारण जहां अनेक पशु मृत हो गये थे। वहीं अनेक लोगों के मकान गिर जाने के कारण लोग आवास हीन होने से बेघर होकर पूरा बारिश का मौसम खुले आसमान के नीचे काटे हुये देखे देखा गया था। इस प्रकार से अनेक किसानों के खेतों में अधिक पानी भरने के कारण उनकी फसले भी खराब हुई है जिनका सर्वे कराया जाने के बाद दौषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का भरोसा भी मिला था...? मगर कार्यवाही के नाम पर क्या हुआ है इस बात का पता खोजने से भी नहीं मिल पा रहा है? इस प्रकार से अधिकारियों द्वारा नाले में अचानक आई हुई बाढ़ का कारण तालाब फूटने का कारण तो स्पष्ट कर दिया गया था कि जिसमें एक तालाब वन विभाग का तथा चार तालाब निजी बताये जा रहे थे? इस सच्चाई के उजागर होने के उपरांत यह सबाल यह पैदा होने से नहीं चूक पा रहा था कि जो निजी तालाब इस क्षेत्र में बनाये गये थे और वह ग्रामीणों की बर्बादी का कारण साबित हुये थे तो फिर क्या शासन के द्वारा उनकी अनुमति दी गई थी? इस प्रकार से भले ही इस घटना को पूरा लगभग पांच साल का समय बीत चुका है। मगर आज भी उस मंजर को याद करते हुये जहां ग्रामीणों की आंखों में आंसू छलकने से नहीं चूकते है तो दूसरी ओर आज भी बर्बाद हुई लोग इस बात का इंतजार करते हुये देखे जा रहे है कि आखिरकार उनकी इस बर्बादी का जिम्मेदार

कौन था और प्रशासन ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है...? इतना ही नहीं इस मामले में इतना लम्बा समय बीते जाने के बाद क्या जांच हुई तथा पीडितों के लिये क्या सहायता मिली यह सच्चाई आज तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है? वहीं दूसरी यदि गौर किया जावे तो जिस प्रकार से फूटने वाले तालाब किसके थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है इसका इंतजार आज भी यहां के प्रभावित किसान करते हुये देखे जा रहे है...? वहीं इस घटना को लेकर क्षेत्रवासियों का कहना है कि कही ऐसा तो नहीं कि इस बर्बादी के मंजर की सच्चाई वाली फाईल जांच के नाम पर लक्ष्मी जी के आर्शीवाद के चलते सरकारी कार्यालय में नीचे दबने के बाद उनकी दीमक तो नहीं खा गये है.....? खैर सच्चाई जो भी हो उसे तो भगवान ही जाने मगर इस संबंध में जब ग्राम रहमा के लोगों से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि हम वर्षों से देख रहे है कि इस नाले में कितनी भी बारिश हो जावे मगर बीते हुये पांच वर्ष पहले 3 सितम्बर 2019 के समान बाढ़ कभी नहीं आई है और जो बाढ़ आयी थी उसका कारण बारिश नहीं थी वह तो निश्चित ही किसी नि किसी की लापरवाही का ही परिणाम था जो हम लोगों को पूर्णरूप से बर्बाद किये जाने के बाद भी आज तक दौषियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह बात सत्य है कि उस समय अनेक जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर नेताओं ने हमारे यहां बर्बादी का मंजर देखते हुये लोगों के पुड़ी तिरकारी बांटते हुये दौषियों पर कार्यवाही का भरोसा दिलाने के लिये हम हर संभव मदद करने की बात कही गई थी। मगर पूरा चार साल का समय बीते जाने के बाद भी हमें इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार दौषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

**मातमी पर्व मोहरम का हुआ समापन कर्बला में विसर्जित किये गये ताजिये**



हरिभूमि न्यूज/गाइरवारा।

इस्लाम धर्मावलंबियों के मातमी पर्व की 10 तारीख बीते हुये बुधवार को अकीदमदों द्वारा हसन, हुसैन की याद में बनाए गए ताजिए नगर में निकाले गये, सैलाब देखता हूं तो होता है ये गुमान, पानी फिरता है तलाश-ए- हुसैन में, कातिल के सामने जो झुकाने न अपना सिर, समझों की उसके जेहन का मालिक हुसैन है। इन जजबतों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष शहर के मुस्लिम भाईयों ने मातमी पर्व मोहरम शहर में भाईचारे का परिचय देते हुए मनाया गया। बताया जाता है कि हर साल ताजियों का मोहरम की 11 तारीख को मजमा शक्कर नदी में लगता था। मगर इस वर्ष इस मजमे के लिये जगह परिवर्तित रूप में देखने मिली जो सुबह सभी ताजिये नए बस स्टैंड बाबड़ी अखाड़ा दरगाह के पास रहे गए , यहा पर अंतिम दीदार के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे बाबड़ी अखाड़ा दरगाह कमेटी द्वारा यहां पर माकूल इंतजाम कर लंगर तकसीम किया

गया दो-तीन घंटे तक मजमा चलने के बाद सभी ताजिये क्रमबद्ध तरीके से या हसन या हुसैन के नारे लगाते हुए शिवांगन कालोनी होते हुये कर्बला के पास बने कुंड में विसर्जित किये गए । लोगों ने नियाज फातेहा पढ़ने के बाद दुआ मांगी । इस तर मोहरम की 11 तारीख गुरूवार के सुबह 8 बजे से ताजियों के अंतिम दीदार के लिए नये बस स्टैंड पर बाद नमाज फजर सभी ताजिये विसर्जन हेतु रवाना हुये जहां मजमा लगा रहा और मुस्लिम भाईयों व महिलाओं द्वारा ताजियों का अंतिम दीदार किया। बताया जाता है कि इस मजमें के पश्चात सभी ताजिये करबला शरीफ विसर्जन के लिए हसन हुसैन के नारों के साथ रवाना हुए, जो शक्कर नदी पुल से निकलते हुये शिवांगन के पीछे नपा द्वारा बनाये गये विसर्जन कुंड में ताजियों का विसर्जन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने ताजियों के अंतिम दीदार किये। इसके पूर्व बुधवार की रात्रि में यौम ए आशूरा पर स्थानीय चांचडी वार्ड बारह भाई इमाम बाड़े के सामने एकत्र हुये ताजियों पर

रात भर मजमा लगा रहा। यहां पर बड़ी तादात में लोगों ने आकर ताजियों पर लोभान छोड़ा व रेबड़ी का प्रसाद चढ़ाकर अपनी मन्नते मांगी। वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाएं बनाने के लिए उप पुलिस अधीक्षक रत्नेश मिश्रा व नगर निरीक्षक उमेश तिवारी ने अपनी टीम के साथ यहां पर सारी रात व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुये देखे गये और पूरा प्रशासन जहां पूर्णरूप से अर्दट पोजिसन में नजर आया । वहीं बताया जाता है फ़क इस मौके पर सवारियों ने पूरी रात नगर में रन किया तथा पूरी रात चलते मजमे के बाद सुबह फजर की नमाज के उपरांत चांचडी से ताजियों का काफिला विसर्जन हेतु रवाना हुआ। शहीदी मोहरम की 11 तारीख को ताजियों को अलविदा करने के पूर्व अंतिम दीदार करने सैकड़ों की संख्या में लोग उनके दर्शन हेतु पहुंचते हुये देखे गये। वहां ताजियों पर रेबड़ी का प्रसाद चढ़ाकर ताजियों के समक्ष इत्र लोभान की धूनी देकर मन्नते मांगी, ढोल तांसे के साथ पुरूषों, युवाओ व छोटे बच्चों द्वारा एकता व भाईचारे का प्रदर्शन किया तथा

ताजियों का मजमा व विसर्जन को देखने के लिए शहर के अलावा आस पास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आये थे। कर्बला में जगह जगह लंगर खोला का वितरण किया गया। इस दौरान जमा मस्जिद समिति द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर शहर के ताजियों के आलावा समीपस्थ ग्राम कामती, सालीचौका, लिलवानी सहित अन्य जगहों की ताजिये भी आये हुए है जिन्हें स्थानीय शक्कर नदी करबला पर नपा द्वारा बनाये कुंड में सभी ताजियों को विसर्जित किया गया। मगर इस वर्ष नदी में पानी अधिक होने के कारण ताजियों को करबला तक पुल वाले रास्ते से ले जाया गया। वहीं ताजियों के विसर्जन का सिलसिला करीब दो घंटे तक चला, करबला शरीफ से लौटते वक्त टेलियों के साथ बहुत से लोग अलविदा अलविदा सारे शहीदी कर्बला या हुसैन इन्ने अली, दो जहां के सुलतों अलविदा पढ़ते हुये ताजियों ठंडे करने के बाद अपने अपने घर वापिस लौटे।

**पौधे के साथ प्लेटफार्म भी हो रहे हैं गायब, हर वर्ष लाखों खर्च होने के बाद भी दर्शन नहीं दे रहे पेड़**



हरिभूमि न्यूज/ साईखेड़ा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत क्षेत्रवासियों की उम्मीद थी कि इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाए जा रहे पेड़ों से क्षेत्र हरित जिले में स्थान पा सकेगा। लेकिन आलम यह है कि लगाए गए पेड़ तो गायब ही है साथ ही उनके लिए बने प्लेट फार्म भी लगभग गायब होते जा रहे है। इस सच्चाई को देखते हुये क्षेत्रवासियों का यह समना ग्राम पंचायतों के पिछली

पंचवर्षीय के दौरान सरपंच, सचिवों एवं योजना को लागू करने वाले अधिकारी एवं उपयंत्रियों की मनमानी की भेंट चढ़ गया है? जानकारी के अनुसार क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों में वर्तमान समय तक बमुश्किल 20 प्रतिशत भी पेड़ सुरक्षित नहीं मिल पायेगे? अधिकतर ग्राम पंचायतों का हाल यह है कि लगभग सारे पेड़ सूख चुके है और उनके लिए बनाए गए प्लेटफार्म टूटकर विखरने लगे है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र की प्रत्येक

ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को काम देने और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए थे, जिसके लिए करोड़ों रूपये का बजट खर्च किया गया है। वहीं इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण, वृक्षों की सुरक्षा एवं सिंचाई पर लगभग लाखों रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन इस खर्च का कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है? बीते हुए वर्षों में इस योजना के अंतर्गत सहस्रों की सच्चाई उभरकर सामने आने से नहीं बच पायेगी।

**गरीबों का हक मार कैरोसिन की हो रही कालाबाजारी एक लीटर तेल के लिए षटक रहे गरीब**

हरिभूमि न्यूज/साईखेड़ा।

यह बात अलग है कि केन्द्र सरकार द्वारा गरीबों के नाम पर उजबला योजना की शुरूआत करते हुए जहां गरीबों के घरों तक गैस कनेक्शन तो पहुंचा दिये गये है। मगर सबाल यह पैदा हो रहा है कि जब इन गरीबों के घरों में गैस खत्म हो जाती है तो उसे भरवाने के लिए लगने वाली रकम एकत्र करना उनका आसान नहीं रहता है जिसमें अनेक घरों की गैस टंकी को बदल दिया जावे? वहीं दूसरी ओर जिन गरीबों को गैस कनेक्शन प्रदान किये गये है उन गरीबों के लिए अब सेवा सहकारी समितियों से मिट्टी तेल मिलाना भी बंद हो जाने के कारण जहां गरीबों के लिए नई परेशानी खड़ी हो रही है। वहीं दूसरी ओर गौर किया जावे तो इस भीषण लीटर मिट्टी तेल के लिए भटकते हुए देखे जाते है। वहीं दूसरी ओर असास रहता था। मगर अक्सर



देखा जाता है कि सहकारी समितियों की दुकानों के सेल्लमैन और गांव के नेता नुमा लोग गरीबों के हक पर डाका डालते हुए कैरोसिन को काला बाजारी करने में कोई कसर छोड़ रहे है? क्योंकि गरीबों के लिए महंगी जलाऊ लकड़ी खरीदने में असमर्थ होने के कारण उन्हें मिलने वाला मिट्टी तेल इस समय क्षेत्र के वाहनों में जलते हुए दिखाई पड़ रहा है? अक्सर देखा जाता है कि जहां गरीब दो लीटर मिट्टी तेल के लिए भटकते हुए देखे जाते है। वहीं दूसरी ओर अनेक प्रभावशाली लोग खुलेआम

ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी दुकानों से जिस प्रकार से बरतल भरकर मिट्टी तेल ले जाते हुए देखे जाते है तो सहकारी दुकानों के बरतल वाली गफलबाजी की सच्चाई अपने आप ही स्पष्ट होते हुए दिखाई देने लगती है? जिसके चलते यदि इन दुकानों में काम करने वाले सेल्लमैन को सच्चाई पर गौर किया जावे तो वह जहां चंद वर्ष पहले दो पहिया वाहनों पर घूमते हुए दिखाई पड़ रहे थे अब चार पहिया वाहनों से अपनी दुकानों को पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे है? यह बात अलग है कि अनेक सेल्लमैनों के पास खेती बाड़ी होने के कारण उनकी आय की सच्चाई की जांच होने की संभावनाओं पर अंकुश लगा जाता है, मगर इन सेल्लमैनों के द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली उनकी सच्चाई को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

**खबर संक्षेप**

**समनापुर के ग्राम सचिव नर्मदा प्रसाद बड़गैया निलंबित**  
हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा गत दिवस ग्राम पंचायत समनापुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जनपद पंचायत समनापुर के द्वारा वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 'पाईप लाईन' विस्तारीकरण ग्राम पंचायत समनापुर हेतु जारी राशि 15 लाख रूपए का कार्य अपूर्ण पाया गया। जिसके कारण ग्रामवासियों को पेयजल की समस्या हो रही है। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने तत्संबंध में कलेक्टर को शिकायत भी की। नर्मदा प्रसाद बड़गैया द्वारा लंबे समय से निर्माण कार्य अपूर्ण रखना शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है। उक्त कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा 2011 नियम-7 (अनुशासन तथा नियंत्रण) के उल्लंघन के श्रेणी में आता है। अतः कलेक्टर ने सचिव नर्मदा प्रसाद बड़गैया, ग्राम पंचायत समनापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में बड़गैया का मुख्यालय जनपद पंचायत समनापुर निर्धारित किया गया है।

**आकाशीय बिजली गिरने से सास एवं बहू की मौत**  
हरिभूमि न्यूज अमरपुर। पुलिस चैकी अमरपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत घेवरी के ग्राम खम्हरिया में गुरुवार को दोपहर लगभग 3 बजे अचानक हुए मौसम परिवर्तन बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से गुलशन बाई पति गोविंद उम्र 48 वर्ष एवं बहू संगीता बाई पति मानिक उम्र 28 वर्ष की मौत हो गई। जानकारी अनुसार खेत में रोपा लगा रही थी। वहीं तेज बारिश होने के कारण उखड़े रोपा खेत से नाला की ओर बहने लगे, जिन्हें उठाकर दूर रखने गए। इसी बीच आकाशीय बिजली गिरी और सास बहू दोनों चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना पुलिस चैकी अमरपुर में दी गई। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर घटनास्थल पहुंचे पंचनामा तैयार कर शव परीक्षण हेतु भेजा गया।

**कलेक्टर ने पटवारी अविनाश कुरसेंगा को निलंबित**  
हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने पटवारी अविनाश कुरसेंगा निलंबित पटवारी ह.नं. 145, 148, 154 ग्राम कोकोमटा को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में उल्लिखित है कि बुधवार को कलेक्टर द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता कल्याण पिता सुन्दर सिंह राठौर निवासी ग्राम कोकोमटा द्वारा शिकायत की गई कि अविनाश कुरसेंगा, पटवारी ह.नं. 145, 148, 154 द्वारा भूमि खसरा नं. 32/1 का अधिलेख सुधार हेतु प्रकरण में पटवारी द्वारा 16 फरवरी को जांच कर प्रतिवेदन आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त पटवारी द्वारा सी.एम. हेल्थ लाईन के प्रकरणों तथा न्यायालयीन प्रकरण में प्रतिवेदन समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः मप्र सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 के तहत पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय डिण्डोरी के कानूनगो शाखा में रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। साथ ही आदेश में पटवारी के निलंबन अवधि में इनके हल्के का प्रभार पटवारी अंकित सोनी को सौंपा गया है।

**गुरु पूर्णिमा पर स्कूलों में दी दिवसीय कार्यक्रम होंगे आयोजित**

अनूपपुर। जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 20 एवं 21 जुलाई को दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। कल प्रांजना स्ना के बाद प्रांजना स्थल में शिक्षकों द्वारा गुरु पूर्णिमा के महत्व एवं पारंपरिक गुरु-शिष्य संस्कृति के विषय में बताया जाएगा। प्रांजनास्थल में परंप्रित गुरुकुल व्यवस्था एवं उल्का भवनीय संस्कृति पर प्रभाव विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता भी विद्यार्थियों में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 21 जुलाई को विद्यार्थियों में गौ संरक्षक वंदना, गुरुजनों एवं शिक्षकों का सम्मान तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरु संस्करण पर संभाषण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। 21 जुलाई को यथासंभव साधु सती, गुरुजनों, शिक्षकों, सेवाभिन्नु शिक्षकों, पूर्व छात्रों एवं आमजन को भी आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

# जमीन अधिग्रहण हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के विरोध में सौंपा ज्ञापन राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावित किसानों ने खोला मोर्चा, पाँचवी अनुसूची के उल्लंघन का आरोप

**निर्माण कार्यों में लगी रोक पर जताया आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी**  
हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। राघवपुर मरवारी बहु उद्देशीय परियोजना के विरोध में डूब प्रभावित लगातार मुखर रहे हैं, अपनी बात शासन स्तर तक पहुंचाने के लिए अनेकों बार धरना प्रदर्शन करते हुए आवेदन/ज्ञापन सौंप चुके हैं, इसके साथ ही ग्रामीण लगातार परियोजना के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माण होने से जिले के लगभग 45 गाँव विस्थापित होंगे, जिसको लेकर प्रभावित जनता लगातार बांध के विरोध में धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, आंदोलन करने पर विवश हैं, कलेक्टर द्वारा पत्र क्र./भू-अर्जन/2024/678 डिंडोरी दिनांक 05.07.2024 के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए कार्यपालन यंत्रि नर्मदा विकास विभाग संभाग क्र. 02, मण्डला को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी किया गया है। जिसको लेकर डूब प्रभावित गाँव के आम जनो ने महारानी दुर्गावती परिसर में संगोष्ठी कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में उल्लेख है की संविधान के पाँचवी अनुसूची के अंतर्गत डिंडोरी जिला अधिसूचित है। मध्यप्रदेश सरकार भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित कृतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के लिए 03 सितम्बर 2015 को नियम को अधिसूचित किया है।



इस नियम के कंडिका (16) में लिखा गया है कि ग्राम सभा की सहमति संविधान की पाँचवी अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन के सभी मामलों में सम्बंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्रारूप (च) में अभिप्राय की जानी चाहिए।

**-पाँचवी अनुसूची के उल्लंघन का आरोप**  
मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 की कंडिका 18 की धारा (1) के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में भू-अर्जन के समस्त मामलों में (म.प्र.) मध्यप्रदेश भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के

नियम 16 के अनुसार संबंधित ग्राम सभा की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए, उपरोक्त दो तथ्यों के आलोक की ग्राम सभा राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कारगर भूमि को अधिग्रहण करने की सहमति नहीं देता है। हम लोग आपसे मांग करते हैं के सभी डूब प्रभावित ग्राम पंचायतों से सहमति/असहमति संकल्प प्राप्त करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए था। जो कि आपके द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 11 के कंडिका (4) अधिसूचना जारी किया गया है। इस प्रारूप (च) में ग्राम सभा का संकल्प लेने के लिए आने वाले पदाभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्राम सभा की इसकी सुचना लिखित में और ढोंडी पीटवाकर एक



सप्ताह पूर्व अधिनियम 2013 की धारा 11 की कंडिका (4) ग्राम पंचायत को सूचना देने के बाद पत्र जारी करना चाहिए था, कि ग्राम सभा की सहमति/असहमति करती या नहीं, ग्राम सभा संकल्प फार्मेट में ग्राम सभा के सदस्यों और पदाभिहित जिला अधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर होना चाहिए था, यह संयुक्त हस्ताक्षर फार्मेट दो प्रति में बनाया जाना और एक प्रति ग्राम सभा को रिकार्ड के रूप में दिया जाना चाहिए था। जिससे फार्मेट में किसी भी तरह का फेरबदल की गुंजाइश ना रहे। पंचायत के आवेदन पत्रों में दर्शाया गया कंडिका का पालन में पारदर्शिता नहीं लाया गया है, अधिनियम 2013 की धारा 11 कंडिका (4) अधिसूचना जारी किया गया है जिसमें ग्राम

पंचायत के नवीन निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है, जिसका डूब प्रभावित जनमानस विरोध जताया है। राघवपुर बहु उद्देशीय परियोजना कार्य प्रगति में है, उसे रोक लगाई जाये, अन्यथा की स्थिति में धरना प्रदर्शन किया जायेगा।  
**-ज्ञापन में ये रहे मौजूद**  
कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, इन्होंने मांग किया है कि कार्य पर तत्काल रोक लगाई जाए, इस दौरान अमर सिंह मार्को, हरि मरावी, राजबली मरावी, रूप सिंह मरावी, ओमकार तिलगाम, सूरज कुंजाम, अनिता उद्दे, समेत काफी संख्या में डूब प्रभावित किसान मौजूद रहे हैं।

## कैरियर काउंसलिंग योजनांतर्गत मनोवैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ हेतु शक्ति बेरोजगार एवं युवा विद्यार्थियों का होगा चयन

हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिक्षित बेरोजगार आवेदकों और विरतविद्यालय/ महाविद्यालय/ तकनीकी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग योजनांतर्गत मनोवैज्ञानिक/ विषय विशेषज्ञों का चयन मानदेय के आधार पर किया जाना है।

जिसमें व्यावसायिक सहायता मार्गदर्शन सहायता उपलब्ध कराना, वर्तमान आकस्मिक परिदृश्य के अनुरूप हितग्राहियों में रोजगार बाजार की समझ विकसित करना, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाने के तरीके के संबंध में सुझाव देना, देशविदेश एवं प्रदेश के विद्यालयधकनीक संस्थाओं व अन्य पाठ्यक्रमों की जानकारी व इन पाठ्यक्रमों में प्रदेश तथा छात्रवृत्ति इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना, निजी, सार्वजनिक और शासकीय क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार रिक्रितियों के संबंध में नियमित मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, व्यवसाय का चयन करने में, उसमें परिवर्तन करने एवं उसके साथ समायोजन करने में सहायता देना, विभिन्न स्वरोजगार ईकाइयों की जानकारी उन योजनाओं के अंतर्गत स्थापित होने वाले स्वरोजगार ईकाइयों के संबंध में जानकारी तथा स्वरोजगार में स्थापित होने वाले व्यवसाय के परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने में

आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, रोजगार कार्यालय में लम्बे समय से पंजीबुद ऐसे आवेदक जो लाभदायक रोजगार पाने में असमर्थ रहे हो के प्रकरणों की समीक्षा कर उचित मार्गदर्शन देना, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर शालाओं व महाविद्यालयों में व्यावसायिक मार्गदर्शन वार्ताओं का आयोजन करना शामिल है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकविषय विशेषज्ञों का चयन दैनिक मानदेय के आधार पर जो निजी, सार्वजनिक एवं शासकीय क्षेत्र में संलग्न योग्य व्यक्तियों में से किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक के लिए अनिवार्य योग्यता साईकौलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री एवं विषय विशेषज्ञों हेतु किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा रहेगी। इच्छुक आवेदक जो कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं वे अपना आवेदन पत्र पूर्ण बायोडाटा सहित दिनांक 29 जुलाई 2024 को शाम 06.00 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय डिण्डोरी में जमा कर सकते हैं।

## स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों के जानकारी देते हुये अधिकारी

हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। यातायात प्रभारी, आरटीओ के द्वारा पुलिस अधीक्षक श्रीमति वाहनी सिंह के मार्गदर्शन में थाना यातायात पुलिस डिण्डोरी एवं जिला परिवहन कार्यालय डिण्डोरी द्वारा सेंट एंजिल स्कूल डिण्डोरी में 'राजस्थान प्रशासनिक सेवा' से सेवानिवृत्त एवं पुलिस अधीक्षक डिण्डोरी श्रीमति वाहनी सिंह जी के पिता महावीर सिंह जी को आमंत्रित कर संयुक्त यातायात जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया। जिसमें महावीर सिंह जी द्वारा स्कूली बच्चों को डेमों के माध्यम से सड़क दुर्घटना के समय हेलमेट की महत्ता को बारीकी से समझाया गया। महावीर सिंह जी द्वारा स्कूली बच्चों को जानकारी देते हुये बतलाया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में अधिकांश मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण होती है, एवं हेलमेट किस तरह हमारे सिर की सुरक्षा कर सड़क दुर्घटना के दौरान प्राणरक्षक साबित होता है। कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभारी सुभाष



उद्दे द्वारा नाबालिक बच्चों द्वारा वाहन न चलाने, बिना ड्रायविंग लायसंस के वाहन न चलाने, ओव्हर स्पीड न चलने एवं यातायात के नियमों के संबंध में जानकारी दी जाकर यातायात के नियमों का पालन करने एवं अपने पालकों को भी यातायात के नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करने का आग्रह किया गया। जिला परिवहन कार्यालय से पंकज डेहरिया द्वारा ड्रायविंग लायसंस बनवाने हेतु आवश्यक अर्हतायें

एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बतलाया गया। कार्यक्रम के दौरान 'राजस्थान प्रशासनिक सेवा' से सेवानिवृत्त महावीर सिंह जी, थाना प्रभारी यातायात सुभाष उद्देके, आर. 359 कृष्णपाल सिंह, आर. 367 कमलेश अहिरवार, आर. 270 भूपेन्द्र डोलहारे, आर.आई. (राजस्व) दीपक रघुवंशी एवं जिला परिवहन कार्यालय से उपस्थित रहे।

## अमरपुर मुख्यालय अतिक्रमण की मकरजाल में उलझा

हरिभूमि न्यूज अमरपुर। राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चला कर सभी शासकीय भूमि, नदी, नाले आदि से अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। परंतु अमरपुर ब्लॉक मुख्यालय में ऐसे निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। अमरपुर मुख्य मार्ग के दोनों तरफ पूर्व में बनी जाली में मुरुम आदि भर पाटकर सड़क के किनारे तक अतिक्रमण कर लिया गया है।

वर्तमान समय में नाली गायब हो चुकी है। सड़क में एक भारी वाहन निकल जाए तो जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या प्रतिदिन की बनी रहती है। इस वजह से कुछ छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी घटित होती रहती है। शायद प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। पूर्व वर्षों में सड़क दुर्घटना में एक स्कूली छात्र की मौत भी हो चुकी है। अतिक्रमण हटाने की मांग हमेशा ग्रामीणों द्वारा

की जाती रही है। पूर्व में ग्राम पंचायत को भी आवेदन दिया गया है। वहीं पर शांति समिति के बैठक में अनेकों बार यह मुद्दा उठाया जाता है। परंतु अतिक्रमण हटाना तो दूर की बात हो गई है। नित्य प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं। सभी शासकीय भवनों के सामने या बगल में अवैध भवन निर्माण कर व्यवसाय किया जा रहा है। या फिर आशियाना बना हुआ है। शासकीय भूमि में मकान बनाकर लोग रह रहे

हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक मुख्यालय में शासकीय भवन बनाने को जगह ही नहीं मिल पा रही है। ग्राम पंचायत तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग के दोनों ओर अवैध कब्जा है। तब भी पंचायत प्रतिनिधि या कर्मचारी अंजान बने हुए हैं। अमरपुर जनपद मुख्यालय में पदस्थ अनेकों विभाग के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी डिंडोरी जिला मुख्यालय से प्रतिदिन आना-जाना कर रहे हैं। शायद मुख्यालय का सचिव भी जिला मुख्यालय से आना-जाना कर रहे हैं। शायद इसी वजह से यहां पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को ग्राम विकास के कार्यों से सरोकार की फिकर ही नहीं है। ग्रामीणों की जानकारी अनुसार शासकीय भूमि में कुछ वर्षों का अवैध कब्जा कर बेच भी दिया जाता है। अगर प्रशासन द्वारा सूक्ष्मता के साथ कड़ी कार्यवाही की जाय तो अनेकों प्रकरण उजागर होने की संभावना है।

## 100 दिवसीय जागरूकता अभियान अंतर्गत मिशन शक्ति के बारे में दी गई जानकारी

हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमन की शुरुआत की गई, जिसमें 100 दिवसीय जागरूकता अभियान चल रहे है। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्याम सिंगौर के मार्गदर्शन उपरंत मिशन शक्ति के पांचवे सप्ताह में आज दिनांक 18.07.2024 को कन्या शिक्षा परिसर, रयपुरा ( जिला डिंडोरी) में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती नीतू तिलगाम द्वारा विद्यालय की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए मिलने वाले लाभ, सेवाएं एवं योजनाओं के साथ साथ तीन एच कानून के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही वन स्टॉप सेंटर परामर्शदाता श्रीमती निकिता मरकाम द्वारा पॉक्सो एक्ट, चाइल्डलाइन (1098) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं वन स्टॉप सेंटर केस वर्कर श्रीमती रितु खांडे द्वारा वन स्टॉप सेंटर (सखी), महिला हेल्थ लाइन (181) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर विधिक सलाहकार श्रीमती स्मिता चैरसिया, केस वर्कर श्रीमती रागिनी धुवें, विद्यालय के प्राचार्य के साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षक भी उपस्थित रहे।



## -मेसर्स साहू एचपी गैस एजेंसी गाडासरई को बर्खास्त करने मेजा प्रस्ताव उज्ज्वला योजना में धांधली मामले पर डीएम सख्त

हरिभूमि न्यूज डिंडोरी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने मेसर्स साहू एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक गाडासरई द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीवीजीएमएस परिवार, घरलु संवर्ग उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन तथा रिफिल प्रदाय में अनियमितता किये जाने के कारण एजेंसी को टर्मिनेट कर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में राज्य समन्वयक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेट लिमिटेड इंदौर को प्रस्ताव भेजा है। प्रतिवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शेख शमीम द्वारा दिनांक 03 तथा 04.07.2024 को जांच की गई है। जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि मेसर्स साहू एचपी गैस ग्रामीण वितरक गाडासरई की जांच में 27 एचपी गैस उपभोक्ताओं के तत्वावेज प्राप्त किये गए, जिनका वितरक द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन जारी कर दिया गया, किन्तु वितरक

द्वारा भौतिक रूप से गैस कनेक्शन गैस चूल्हा, गैस पाइप रेगुलेटर, एलपीजी सिलेंडर व एस्वी प्रदाय नहीं किया गया है। उक्त गैस एजेंसी वितरक गाडासरई द्वारा पूर्व में भी अनियमितता किये जाने पर पुलिस थाना गाडासरई में संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध7 के तहत धारा 420, 34 आईपीसी के तहत दर्ज कराया गया था। उक्त सम्बन्ध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 404 दिनांक 5 जुलाई 2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब मेसर्स साहू एचपीसी द्वारा 09 जुलाई 2024 को कलेक्टर के समक्ष पेश किया है, जिसमें उन्होंने उक्त कारण बताओ नोटिस के विषय में क्षमा मांगी है। नोटिस जारी होने के बाद पात्र गृहस्थ परिवारों को कनेक्शन

दिए गए जो नियमानुसार एस्वी जारी होने के तत्काल बाद दिया जाना था। इनके द्वारा शिकायत की जांच की पुष्टि होने के पश्चात उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री जनमन योजना के पीवीजीटीएस परिवार भी शामिल है, जो केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है। इस प्रकार गैस एजेंसी के संचालक द्वारा मनमाने ढंग से गैस एजेंसी का संचालन एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन के वितरण में लगातार अनियमितता की जा रही है। स्वेच्छाचारिता से कार्य किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ

नोटिस का जवाब समाधाकारक एवं संतोषप्रद नहीं है। गैस एजेंसी के संचालन कार्य में लगातार अनियमितता की जा रही है। इसके पूर्व भी गैस एजेंसी द्वारा अनियमितता पाए जाने पर पुलिस थाना गाडासरई में अपराध कायम किया गया था। गैस एजेंसी संचालक द्वारा लगातार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीवीजीटीएस परिवार घरलु संवर्ग उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन तथा रिफिल प्रदाय में अनियमितता किये जाने से क्षेत्र में उपभोक्ताओं में असंतोष व्याप्त है और लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। क्षेत्र की समस्याओं की दृष्टिगत रखते हुए तथा क्षेत्रीय उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मेसर्स साहू एचपी गैस ग्रामीण वितरक गाडासरई की टर्मिनेट कर उपभोक्ताओं के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया संतोषजनक जवाब

